न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2013/00125 दर्ज तिथिः– 28.06.2013

1. तीजा पत्नी सुन्दरा उम्र 65 साल
2. रामकिशन पुत्र सुन्दरा उम्र 40 साल
3. पप्पू पुत्र सुन्दरा उम्र 35 साल
   समस्त जातियान माली निवासीयान ग्राम लालपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

......................वादीगण

बनाम

1. माधौ पुत्र कालू उम्र 70 साल
2. मांगू पुत्र भौरा उम्र 45 साल
3. गैन्दाराम पुत्र धन्नाराम उम्र 45 साल
4. मु0 सगरी पत्नी धन्नाराम उम्र 65 साल
5. कैलाश पुत्र नहनू उम्र 38 साल
6. मु0 बादामी पत्नी नहनू उम्र 55 साल
   समस्त जातियान माली निवासीयान ग्राम लालपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

................असल प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी थानागाजी जिला अलवर।

..........................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ताः– श्री के0 के0 शर्मा
प्रतिवादीगण :– श्री कमलेश सैनी।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः– 03.07.2023

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत तकासमा अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तका[illegible] स्थाई निषेधाज्ञा का वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुआ है। प्रकरण [illegible] इस प्रकार से है कि वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.06 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested

की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा नंबर 876 / 0.48 है0, 880 / 0.34 है0, 885 / 0.11 है0 कुल किता 03 रकबा 0.93 है0 वाके ग्राम लालपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण का 1 / 5 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण 4 / 5 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादीगण को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बेय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण हाजा न्यायालय में असालतन—वकालतन उपस्थित हुए तथा जवाब दावा पेश कर दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया। प्रकरण मे वादी के वाद पत्र के अवलोकन के पश्चात निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गयेंः—

1. आया संयुक्त आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण विभाजन करवाकर पृथक—पृथक खाता कायम करवाने के अधिकारी है।

.....................उभय पक्षकारान

2. आया संयुक्त आराजी को वादीगण व प्रतिवादीगण विभाजन करवाकर पृथक—पृथक खाता कायम करवाकर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

.....................उभय पक्षकारान

3. अन्य दादरसी।

....................उभय पक्षकारान

3. तनकी संख्या—1 पर विद्वान अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी। बाद बहस वाद पत्र को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार थानागाजी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा दिनांक 16.03.2023 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की।

4. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा तहसीलदार थानागाजी द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति जाहिर की। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा दी गई सहमति पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2067—2070 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल अ[illegible]सरा नंबर 876 / 0.48 है0, 880 / 0. 34 है0, 885 / 0.11 है0 कु[illegible] 03 [illegible] है0 [illegible]के ग्राम लालपुरा तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.06 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested

थानागाजी के सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त संयुक्त आराजीयात में वादीगण का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का 4/5 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है। अतः तनकी संख्या–1 स्वीकार की जाती है।

5. प्रकरण में तनकी संख्या–02 के अनुसार तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। अतः तनकी संख्या–02 के तहत विश्लेषण हेतु स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः–

   प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जाः– प्रकरण के बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह– काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

   द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

   तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

6. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः तनकी संख्या–02 स्वीकार की जाती है। अतः

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.06 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नंबर नंबर 876/0.48 है0, 880/0.34 है0, 885/0.11 है0 कुल किता 03 रकबा 0.93 है0 वाके ग्राम लालपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं।

खातेदार	खसरा	रकबा	किस्म
तीजा पत्नी सुन्दरा, पप्पू पुत्र सुन्दरा, रामकिशन पुत्र सुन्दरा हिस्सा बराबर जाति माली साकिन देह खातेदार	876/1	0.10 है0	चाही अलिफ
	880/1	0.06 है0	चाही अलिफ
	885/1	0.02 है0	चाही अलिफ
किता 03 रकबा 0.18 है0			
धन्ना, नहनू, भौरा, माधौप्रसाद पिसरान कालू हिस्सा बराबर जाति माली साकिन देह खातेदार	876	0.38 है0	चाही अलिफ
	880	0.27 है0	चाही अलिफ
	885	0.09 है0	चाही अलिफ
किता 03 रकबा 0.74 है0			
धन्ना, नहनू, भौरा, माधौप्रसाद पिसरान कालू हिस्सा 4/5	880/2	0.01 है0	गैर मुमकिन रास्ता
तीजा पत्नी सुन्दरा, पप्पू पुत्र सुन्दरा, रामकिशन पुत्र सुन्दरा हिस्सा 1/5			

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कृषि कार्य में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी नहीं बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार थानागाजी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.06 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 03.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर सरे—इजलास सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी—अलवर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
थानागाजी-अलवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.06 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी—अलवर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2013 / 00125 | दर्ज तिथिः— 28.06.2013

1. तीजा पत्नी सुन्दरा उम्र 65 साल
2. रामकिशन पुत्र सुन्दरा उम्र 40 साल
3. पप्पू पुत्र सुन्दरा उम्र 35 साल

समस्त जातियान माली निवासीयान ग्राम लालपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.......................वादीगण

बनाम

1. माधौ पुत्र कालू उम्र 70 साल
2. मांगू पुत्र भौरा उम्र 45 साल
3. गैन्दाराम पुत्र धन्नाराम उम्र 45 साल
4. मु0 सगरी पत्नी धन्नाराम उम्र 65 साल
5. कैलाश पुत्र नहनू उम्र 38 साल
6. मु0 बादामी पत्नी नहनू उम्र 55 साल

समस्त जातियान माली निवासीयान ग्राम लालपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.................असल प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू—स्वामी थानागाजी जिला अलवर।

...........................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ताः— श्री के0 के0 शर्मा
प्रतिवादीगण :— श्री कमलेश सैनी।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम [illegible] व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी [illegible] नंबर [illegible] 876 / 0.48 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.06 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested

880/0.34 है0, 885/0.11 है0 कुल किता 03 रकबा 0.93 है0 वाके ग्राम लालपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं।

खातेदार	खसरा	रकबा	किस्म
तीजा पत्नी सुन्दरा, पप्पू पुत्र सुन्दरा, रामकिशन पुत्र सुन्दरा हिस्सा बराबर जाति माली साकिन देह खातेदार	876/1	0.10 है0	चाही अलिफ
	880/1	0.06 है0	चाही अलिफ
	885/1	0.02 है0	चाही अलिफ
किता 03 रकबा 0.18 है0			
धन्ना, नहनू, भौरा, माधौप्रसाद पिसरान कालू हिस्सा बराबर जाति माली साकिन देह खातेदार	876	0.38 है0	चाही अलिफ
	880	0.27 है0	चाही अलिफ
	885	0.09 है0	चाही अलिफ
किता 03 रकबा 0.74 है0			
धन्ना, नहनू, भौरा, माधौप्रसाद पिसरान कालू हिस्सा 4/5	880/2	0.01 है0	गैर मुमकिन रास्ता
तीजा पत्नी सुन्दरा, पप्पू पुत्र सुन्दरा, रामकिशन पुत्र सुन्दरा हिस्सा 1/5			

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कृषि कार्य में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी नहीं बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर सरे—इजलास सुनायी गयी।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी—अलवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.06 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested